सिविल प्रक्रिया संहिता IV Sem

1. विचाराधीनवाद से आप क्या समझते हैं? किन परिस्थितियों में यह सिद्धान्त लागू होते हैं।
2. वाद कारण से आप क्या समझते हैं तथा वाद कारण का समायोजन व पक्षकारों के संयोजन पर टिप्पणी लिखिए।
3. सिविल प्रकृति का वाद क्या है? उचित दृष्टांतों सहित व्याख्या कीजिए।
4. अंकिचन वाद क्या है? अंकिचन वाद दायर करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
5. अभिवचन से आप क्या समझते हैं? अभिवचन के विभिन्न नियमों की व्याख्या कीजिए।
6. पुनरीक्षण से आप क्या समझते हैं? पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन में अन्तर बताइए।
7. मर्यादा उपचार को रोती है किन्तु अधिकार को नष्ट नहीं करती है? व्याख्या कीजिए तथा यदि इस नियम के कोई अपवाद हो तो वर्णन कीजिए।
8. वाद संस्थित (दाखिल) करने के स्थान के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत वर्णित नियम क्या है?
9. टिप्पणी–

1. प्रांङ्ग न्याय,
2. अवयस्क के विरूद्ध वाद,
3. मध्यवर्ती लाभ।
4. गिरफ्तारी एवं निरोध।

सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम

1. विक्रय क्या है? आवश्यक तत्वों का वर्णन करते हुए क्रेता एवं विक्रेता के अधिकारों एवं दायित्वों की व्याख्या कीजिए।
2. बंधक को परिभाषित कीजिए तथा बंधक के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए।
3. बंधककर्ता के विमोचन के अधिकारों की व्याख्या निर्णीत वादों सहित कीजिए।
4. निर्णीत वादों की सहायता से पुरोबन्धवाद अथवा विक्रय सहित बन्धकदार के अधिकारों की व्याख्या कीजिए।
5. विनिमय को परिभाषित कीजिए तथा इसके आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए।
6. पट्टा से आप क्या समझते हैं? पट्टा के समापन के विभिन्न प्रकार की व्याख्या कीजिए।
7. सुखाधिकार अर्जित करने के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करते हुए पट्टा एवं अनुज्ञप्ति में अन्तर बताइए।
8. टिप्पणी–

1. अनुयोज्य दावा,
2. भार,
3. प्रतिभूतियों का क्रमबन्धन,
4. प्रीमियम एवं भाटक,
5. दान,
6. दुर्भरदान,
7. सुखाधिकार की परिभाषा।

श्रमिक विधि

1. कारखाना अधिनियम, 1948 की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
2. कर्मकार प्रतिकार अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत दी गयी परिभाषा में कर्मकार की समीक्षा कीजिए।
3. भारतीय मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए।
4. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उद्देश्य एवं क्षेत्र विस्तार को समझाइए।
5. कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय के गठन, कार्य एवं क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए।
6. कर्मकार प्रतिकार अधिनियम के अन्तर्गत किये गये क्षति पूर्ति के दावे में कौन से प्रतिवाद लिए जा सकते हैं वर्णन कीजिए।
7. मजदूरी क्या है? इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करे।
8. टिप्पणी–

1. नियोजक,
2. स्त्री के मृत्यु के मामले में मातृत्व हित लाभ।
3. कटौतियां।
4. आंशिक एवं पूर्ण निःशक्तता,
5. मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अन्तर्गत औद्योगिक स्थापना और मजदूरी।
6. कर्मकार प्रतिकर आयुक्त की नियुक्ति, शक्ति और कार्य।

विधि शास्त्र

1. विधिक अधिकारों की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। विधिक अधिकार एवं कर्तव्य के बीच सम्बन्धों की व्याख्या कीजिए और नकारात्मक तथा सकारात्मक अधिकारों में अन्तर बताइए।
2. विधिक व्यक्तित्व की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, विधिक व्यक्तित्व के विभिन्न सिद्धान्त बताइये तथा तर्क देते हुए इंगित कीजिए कि क्या निम्नलिखित विधिक व्यक्ति हैं–

(अ) मृत व्यक्ति, (ब) गर्भस्त शिशु, (स) दैव प्रतिमा, (द) राष्ट्रपति।

3. सम्पत्ति की अवधारणा की विवेचना कीजिए। सम्पत्ति के विभिन्न प्रकार तथा उसकी उत्पत्ति से सम्बन्धित विभिन्न सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए।
4. दायित्व को परिभाषित कीजिए। सिविल दायित्व तथा आपराधिक दायित्व के आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए।
5. स्वामित्व से आप क्या समझते हैं? इसके आवश्यक तत्व बताइये तथा स्वामित्व एवं कब्जे में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
6. कब्जे से आप क्या समझते हैं? कब्जा अर्जन के विभिन्न तरीके बताइये तथा इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए।
7. विधि एवं नैतिकता में सम्बन्धों की नैसर्गिक विधि शाखा तथा प्रमाणवादी शाखा के विधिशास्त्रियों के विचारों की सहायता से व्याख्या कीजिए।
8. सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान के सन्दर्भ में सामाजिक न्याय की अवधारणा का उल्लेख कीजिए।
9. टिप्पणी–

1. दुराशय,
2. कठोर दायित्व एवं पूर्ण दायित्व,
3. निगमित व्यक्तित्व,
4. अधिकार के सिद्धान्त,
5. जस टर्शाई।

दण्ड प्रक्रिया संहिता II

1. आरोप के प्रारूप एवं विवरणों की विवेचना कीजिए।
2. सत्र न्यायालय के समक्ष विचारणीय मामलों के परीक्षण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
3. वारण्ट मामलों के विचारण के लिए अपनायी जाने वाली समस्त प्रक्रियाओं की विवेचना कीजिए।
4. अपराधों के संक्षिप्त विचारण के लिए मजिस्ट्रेट की शक्तियों तथा प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
5. उन व्यक्तियों का उल्लेख कीजिए जो भरण–पोषण पाने के लिए हकदार हैं। भरण–पोषण का आदेश दिये जाने के लिए आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए।
6. मजिस्ट्रेटों द्वारा समन–मामलों के विचारण की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए।
7. किन परिस्थितियों में और किनसे शान्ति और सदाचरण रखने के लिए प्रतिभूति मांगी जा सकती है? विवेचना कीजिए।
8. दोषमुक्ति के मामलों में अपील कब की जा सकती है और दोषसिद्धि के मामलों में कब अपील की जा सकती है।
9. किशोर न्याय अधि० 2000 के लक्ष्य तथा उद्देश्य की विवचेना कीजिए।
10. किशोर न्याय बोर्ड के गठन और उसकी शक्तियों की विवेचना कीजिए।
11. कुछ अपराधियों को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोडने की न्यायालय की शक्तियों का समालोचनात्मक विवेचना कीजिए।
12. बालक कल्याण समिति के गठन और उसकी शक्तियों की विवेचना कीजिए।
13. संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए।
    1. दोषमुक्ति और उन्मोचन,
    2. अपचारी किशोर,
    3. समन एवं वारण्ट मामले,
    4. परिवीक्षा अधिकारी,
    5. निर्देश और पुनरीक्षण।

बीमा विधि

1. बीमा विधि की प्रकृति एवं विस्तार क्षेत्र की विवेचना कीजिए।
2. बीमा संविदा से आप क्या समझते हैं? यह सामान्य संविदा से किस प्रकार भिन्न है।
3. जीवन बीमा पालिसी संविदा क्या है? इसमें दी गयी शर्तों का सविस्तार विवेचना करें।
4. बीमा योग्य हित का आशय महत्व और शर्तें समझाइए। विभिन्न प्रकार की बीमा संविदाओं में किस प्रकार योग्यहित मौजूद होना चाहिए।
5. सामाजिक बीमा की आवश्यकताएं एवं महत्व को विवेचित कीजिए।
6. बीमा की आवश्यकता एवं विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए।
7. बीमा के सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए।
8. परमसद्भाव के सिद्धान्त से आप क्या समझते हैं? इसकी विवेचना कीजिए।
9. समुद्री बीमा क्या है? समुद्री संविदा के आवश्यक तत्व क्या हैं?
10. टिप्पणी–

1. पुर्नबीमा एवं दोहरा बीमा में अन्तर,
2. पालिसी के समनुदेशन,
3. परम् सद्भाव का सिद्धान्त,
4. जोखिम के शर्त एवं तत्व,
5. सम्भावित का सिद्धान्त,
6. वारण्टी का सिद्धान्त,
7. अग्नि बीमा सिद्धान्त,
8. अभिदाय का सिद्धान्त।